संख्या-44/2016-1297ई-2/तेरह-2016-47/2003

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 जुलाई,2016

विषय:- मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, बिजनौर द्वारा आसवनी को वर्ष में 350 दिन संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-21/दो-प्रा0डी0-33, दिनांक 24 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 मई,2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, बिजनौर को वर्ष में 330 दिवस के स्थान पर 350 दिवस तक आसवनी संचालित किये जाने पर एतद्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in